

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक**  
पीठासीन अधिकारी—

कैलाश चन्द्र शर्मा  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर  
24/2018/प्रा.पत्र/2018

तारीख दायरा  
03.04.2018

तारीख निर्णय  
28.02.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री धनश्याम माहेश्वरी पुत्र स्व. सूरजमल माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स माहेश्वरी डेयरी बस स्टैण्ड परिसर देवली जिला टोंक निवासी केयर ऑफ मुकेश जैन बस स्टैण्ड के पीछे जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0

2. मैसर्स माहेश्वरी डेयरी बस स्टैण्ड परिसर देवली जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011  
उपस्थित—

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

**:-निर्णय:-**

**दिनांक 28.02.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2017 को समय 1.09 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स माहेश्वरी डेयरी बस स्टैण्ड परिसर देवली जिला टोंक पर पहुंचा। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री धनश्याम माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स माहेश्वरी डेयरी बस स्टैण्ड परिसर देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी खुला (Ghee Loose) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर एफ.बी.ओ. श्री धनश्याम माहेश्वरी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता धनश्याम माहेश्वरी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।


आवेदक द्वारा दुकान में घी खुला (Ghee Loose) में रखे गये 25-25 लीटर क्षमता वाली 2 अलग-अलग एल्यूमिनियम केनो में लगभग 13-14 किलोग्राम घी खुला (Ghee Loose) में वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से 800 ग्राम घी खुला (Ghee Loose) को वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री धनश्याम माहेश्वरी को रू0 360/-अक्षरे तीन सौ साठ रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा घी खुला (Ghee Loose) 200-200 ग्राम के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग-अलग चार साफ व सूखी कांच की शिशियो में अच्छी तरह एयरटाइट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1784 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1784 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

721



ओ. घनश्याम माहेश्वरी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4791 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/770/एक्ट/2017/770 दिनांक 22.11.2017 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 अनुसार घनश्याम माहेश्वरी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घी खुला (Ghee Loose) एफ.एस.एस.ए. की धारा 2 (ii) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का घी खुला (Ghee Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी खुला (Ghee Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी खुला (Ghee Loose) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्रीधनश्याम माहेश्वरी पुत्र स्व. सूरजमल माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स माहेश्वरी डेयरी बस स्टैण्ड परिसर देवली जिला टोंक निवासी केयर ऑफ मुकेश जैन बस स्टैण्ड के पीछे जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक राज० पर शास्ती 11,000/- (अक्षरे ग्यारहा हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.02.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
आरिफ़ जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज०